



उत्तराखण्ड वन विकास निगम

URGENT

प्रधान कार्यालय - उत्तराखण्ड वन विकास निगम, 73 मेहत रोड, देहरादून

दूरभाष :- 0135-2657630, फोन :- 0135-2653488, ई-मेल :- vanvikas12@gmail.com

दिनांक :- 6, दिसम्बर, 2019

पत्रांक - 5256/आश्व पत्र (4)
होता है,

होती है प्रमुख (परिचयी क्षेत्र),
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
रामनगर।

विषय :- आरक्षित वन क्षेत्र की नदी तल (1) कोठी-दाक्का भाग-2 (2) बीर (3) माछड़ा एवं (4) निहाल से उपखनिज
पुगान-निकासी के नए प्रस्तावों पर अखेतर कार्यवाही के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्रांक-3-4911/उप तन्त्रि/आश्व पत्र (4), दिनांक 20 नवम्बर, 2019 एवं
आपकी पत्र (1) तं-4359/दिनांक 30.11.2019 तथा
(2) तं-4360/दिनांक 30.11.2019

संदर्भ,

उपरोक्त पत्रों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं आपकी संतुष्टि पर सम्बन्ध
विद्योत्तराखण्ड वन विकास निगम के अंतर्गत आरक्षित वन क्षेत्र की नदी तल (1) कोठी-दाक्का भाग-2 (2) बीर, (3) माछड़ा एवं
(4) निहाल से उपखनिज पुगान-निकासी के नए प्रस्तावों पर अखेतर कार्यवाही तत्क्षित प्रस्ताव आदि तैयार करने हेतु निम्नवत
अधिकृत किया जाता है :-

- (1) कोठी-दाक्का भाग-2 हेतु
- (2) बीर हेतु
- (3) माछड़ा हेतु
- (4) निहाल हेतु

श्री अनीता अग्रवाल, प्रभागीय प्रमुख, तनन, रामनगर

श्री एमजीओ गोस्वामी, प्रभागीय लीमिंग प्रमुख, पूर्वी कालाहूँगी

श्री एमजीओ गोस्वामी, प्रभागीय लीमिंग प्रमुख, पूर्वी कालाहूँगी एवं

श्री एमजीओ गोस्वामी, प्रभागीय लीमिंग प्रमुख, पूर्वी कालाहूँगी

उपरोक्तानुसार अधिकृत किये जाने बाबत अधिकार पत्र संलग्न है। उक्त प्रस्ताव तैयार करने सहित अखेतर
कार्यवाही में अधिकृत प्रभागीय प्रमुखों को आप द्वारा मार्गदर्शन प्रदान करते हुए पर्यवेक्षण भी किया जाए।

अतः आप उपरोक्तानुसार नदियों से उपखनिज पुगान-निकासी की वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत
अनुमति बाबत निर्धारित प्रक्रिया/प्रक्रियानुसार प्रस्ताव तैयार कराते हुए MoEF की वेबसाईट में अपलोड कराते हुए आवश्यक
कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर करावे जाने का कष्ट करें और आश्व पत्र हेतु निर्धारित शुल्क रु 1,00,000/- (रु एक
लाख) मात्र प्रत्येक प्रस्ताव हेतु जमा कराते हुए हीय आश्व पत्र भी निर्गत करा लिया जाए।

संलग्न :- चर्चापत्र।

महदीय

(मोनिष बल्लिक)
प्रमुख निदेशक

पत्रांक- 5256/तद्विनिमित्त।

विवृति :- निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संकेतित :-

1. निदेशक, भूधन एवं खनिज सर्वेक्षण, उद्योग निदेशालय, भोपालपानी, देहरादून।
2. महाप्रमुख (कुओ/उपादन), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, हन्डानी/देहरादून।
3. प्रभागीय प्रमुख, तनन, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, रामनगर।
4. प्रभागीय लीमिंग प्रमुख, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, पूर्वी कालाहूँगी/परिचयी कालाहूँगी।
5. नोट :- (1) लिखित पत्रावली, (2) संका अनुभाग, (3) गार्ड फाईल

(मोनिष बल्लिक)
प्रमुख निदेशक